

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687
वेबसाइट :- pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- प.5(90)निपेवि/नियम/2010/पार्ट 05/594-11

दिनांक :- 10/12/24

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय
2. समस्त कोषाधिकारी

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 143 व 145
की नयी चैक लिस्ट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के
नियम 143 व 145 की नयी चैक लिस्ट संलग्न कर लेख है कि उक्त चैक लिस्ट के अनुसार
जांच/परीक्षण करके ही प्रकरण को निदेशालय, पेंशन विभाग, जयपुर को भिजवाया जाना
सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ देवराज)
निदेशक

C:\Users\nan\Desktop\RULES\Letters\lta to letter

RajKaj Ref
12190110



Signature Not Verified

Digitally signed by Devraj
Designation : Director
Date: 2024.12.06 07:15:12 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 143 के अंतर्गत पेंशनर की स्वयं की बकाया पेंशन राशि के भुगतान स्वीकृति हेतु वांछित आवश्यक दस्तावेज :-

- (1) पेंशनर द्वारा नियमित रूप से पेंशन प्राप्त न करने का कारण :-
- (2) नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने के कारण के संबंध में संबंधित कोषाधिकारी का अभिकथन :-
- (3) अवधि का उल्लेख जिसका एल.टी.ए बनाया गया :-
- (4) बैंक द्वारा जारी पेंशनर का Non Payment Certificate (नवम्बर 2021 तक) :-
- (5) जीवन प्रमाण पत्र की प्रति (संलग्न करें) :-
- (6) पारिवारिक पेंशन की स्थिति में विवाह/पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र :-
- (7) पारिवारिक पेंशन (पुत्र/पुत्री की स्थिति में) आय का प्रमाण पत्र :-
- (8) बकाया पेंशन राशि का गणना पत्र (नियमानुसार आयकर कटौती करते हुए यदि आवश्यक हो) :-
- (9) पेंशनर के पीपीओ/एफपीपीओ की प्रमाणित प्रति :-
- (10) वित्त विभाग के मेमोरेण्डम No F.12(6)FD/Rules/2017 Pt-I जयपुर दिनांक 06.06.2018 के अनुसार 7वें वेतन आयोग पेंशन की गणना की गई है अथवा नहीं। यदि नहीं की गई है तो पेंशन संशोधित कर प्रकरण भिजवाये :-
- (11) पेंशनर ने जिस अवधि में पेंशन आहरित नहीं की है, उस अवधि का राज्य/केन्द्र सरकार/उपक्रम में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति न होने का प्रमाण पत्र :-
- (12) यदि पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता अवयस्क है तो उसका संरक्षक घोषित किया जाने का प्रमाण-पत्र :-
- (13) पेंशनर के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-
- (14) PAN कार्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये :-

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 145 के अंतर्गत मृतक पेंशनर की बकाया जीवन कालीन पेंशन/कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एरियर राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को दिए जाने के संबंध में स्वीकृति हेतु पात्र होने वाले प्रकरणों में वांछित दस्तावेज :-

- (1) जीवन कालीन पेंशन एरियर राशि का गणना पत्र (यदि पेंशनर है तो नियमानुसार आयकर की कटौती) :-
- (2) अवधि का उल्लेख जिसका एल.टी.ए बनाया गया :-
- (3) बैंक द्वारा जारी पेंशनर का Non Payment Certificate (नवम्बर 2021 तक) :-
- (4) एल.टी.ए/पी.पी.ओ की प्रमाणित फोटो प्रति :-
- (5) पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र :-
- (6) वित्त विभाग के मेमोरेण्डम No F.12(6)FD/Rules/2017 Pt -I जयपुर दिनांक 06.06.2018 में पेंशन की गणना की गई है अथवा नहीं। यदि नहीं की गई है तो पेंशन संशोधित कर प्रकरण भिजवाये :-
- (7) पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उत्तराधिकारियों का विवरण :-
- (8) कोषाधिकारी/पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उत्तराधिकारियों के अधिकार एवं स्वत्व के बारे में संतुष्टि का कथन :-
- (9) उत्तराधिकारी द्वारा भुगतान योग्य राशि के संबंध में क्षतिपूर्ति बंध पत्र/नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर (वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन अनुसार) :-
- (10) उत्तराधिकारियों के संबंध में शंका होने पर वैधानिक अधिकार पत्र :-
- (11) यदि पेंशनर मुस्लिम है तो सिया/सुन्नी उत्तराधिकारी कानून के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों की सूची :-
- (12) यदि पेंशन राशि के एक से अधिक उत्तराधिकारी हो तो बकाया पेंशन एरियर राशि के भुगतान के संबंध में उनकी सहमति का शपथ पत्र :-
- (13) पेंशनर के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-
- (14) PAN कार्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये :-